न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/216/2021	2021/522	22.12.2021	31.01.2022

1. सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा, निवासी ग्राम डेरा, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग, पॉस मशीन कोड सं0 17298, ग्राम पंचायत डेरा, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

— रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021

उपस्थितः—

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 09.12.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1133/2002, पॉस मशीन कोड सं 17298 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत डेरा, तहसील रैणी के 1/3 भाग का डीलर है। जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1133/2002, पॉस मशीन कोड सं 17298 है। व्यक्तिगत एवं राजनैतिक रंजिश के कारण कुछ उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थी की झूठी शिकायत की गई जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, अलवर के आलोच्य निर्णय दिनांक 09.12.2021 के विरूद्व अपील पेश की है, जो अन्दर मियाद अवधि है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा आलाच्य निर्णय एकतरफा सुनाया गा है, जो काबिल निरस्तनीय है एवं स्वीकार योग्य अपील हाजा है। मिन अपीलान्ट के द्वारा मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 10.05.2018 के विरूद्व माननीय जिला कलक्टर अलवर समक्ष अपील सख्या 12/89/2018 बअनुवान सुरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम जिला रसद अधिकारी पेश की गई थी, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.07.2019 को किया जाकर निम्न आदेश फरमाया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी, अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट का विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य, सबूत प्रस्तत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथासम्भव एवक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। मिन अपीलान्ट के द्वारा माननीय अदालत में जिला रसद अधिकारी, के द्वारा प्रकरण संख्या 16/2018 में पारित निर्णय दिनांक 10.5.2018 के विरूद्व अपील सं0 12/89/2018 पेश की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 02.07.2019 को माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाकर अपीलान्ट की अपील मंजूर की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया था। जिला रसद अधिकारी अलवर को पुनः उसी बिन्दु पर निर्णय सादिर नही किये जाने चाहिए थें। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा माननीय जिला कलक्टर, अलवर के निर्णयों की अवहेलना की गई है। इसलिए भी मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 काबिल निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा निर्णय दिनांक 10.05.2018 एकतरफा में किया गया था एवं पुनः भी निर्णय दिनांक 09.12.2021 एकतरफा में किया गया है। इसलिए भी निर्णय दिनांक 09.12.2021 काबिल निरस्तनीय है। जिला कलक्टर अलवर के द्वारा अपील निर्णय दिनांक 02.07.2019 में यह निर्णय किया गया था कि अपील निर्णय दिनांक 02.07.2019 में यह निर्णय किया गया था। कि अपीलान्ट के प्रकरण का यथासंभव एक माह में निस्तार किया जावें। मातहत जिला रसद अधिकारी के द्वारा प्रकरण दिनांक 19.07.2019 को दर्ज किये जाने के उपरान्त नोटिस जारी के आदेश कर दिये गये, परन्तु पत्रावली में यह दर्ज नही किया

जिला कलक्टर, अलवर

गया कि नोटिस किस दिनांक को जारी किये गये है। दिनांक 07.11.2019 की आर्डरशीट मेंप्रकरण दर्ज कर दिनांक 13.12.2019 की आगामी तारीख पेशी नियत की गई थी और नोटिस जारी करने के आदेश किये गये थे। अपीलान्ट दिनांक 13.01.2020 को मातहत अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ था और आर्डरशीट पर अपने हस्ताक्षर किये थे जबकि आलौच्य निर्णय दिनांक 09.12.2021 में मातहत अधिकार के द्वारा अपीलान्ट की उपस्थिति दिनांक 13.01.2020 में दर्ज नहीं की गई है एवं बेजा रूप से दिनांक 29.07.2019, 07.11.2019 में अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज की गई है। यहां यह तथ्य गौर श्रीमान है कि दिनांक 29.07.2019 की कोई पेशी प्रकरण में नियत ही नहीं हुई थी। मातहत अधिकारी की आर्डर शीट में दिनांक 20.03.2020 को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे, जिस पर दिनांक 20.03.2020 को ही नोटिस जारी किया गया था। जिस नोटिस कमांक रसद/अभियोजन/2020/22957 दिनांक 20.03.2020 का विस्तृत जवाब एवं 31 व्यक्तियों के शपथ पत्रों की प्रतियां जो कि मिन अपीलान्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में पेश किये गये थे, को मिन अपीलान्ट के द्वारा मातहत अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.12.2020 को पेश कर दिया गया, जो जवाब मातहत अधिकारी की पत्रावली पर है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि मिन अपीलान्ट द्वारा मातहत जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की गई है, जो अपील के साथ पेश की जा रही है, जिसके बावजूद आलौच्य निर्णय दिनांक 09.12.2021 में मातहत जिला रसद अधिकारी, के द्वारा मिन अपीलान्ट द्वारा उनके कार्यालय से जारी नोटिस का कोई जवाब पेश नहीं करने के तथ्य दर्ज करते हुए, नोटिस का कोई जवाब पेश नहीं करने को अपने निर्णय का मुख्य आधार बनाया गया है, जिस कारण से मातहत अधिकारी को आलौच्य निर्णय काबिल निरस्तनीय है। जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 02.07.2019 को पारित निर्णय में जारी आदेश के तहत एक माह में मातहत अधिकारी को अपीलान्ट का प्रकरण निस्तारित किया जाना था जबकि मातहत अधिकारी के द्वारा प्रकरण दिनांक 19.07.2019 को दर्ज किये जाने के उपरान्त प्रकरण का नोटिस अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 20.03.2020 को जारी किया गया है, जो तथ्य मातहत अधिकारी की पत्रावली से प्रकट है, जिससे भी माननीय न्यायालय के पारित निर्णय की अवहेलना जाहिर व साबित है। मिन अपीलान्ट मातहत अधिकारी के द्वारा जारी नोटिस कमांक रसद/अभियोजन/2020/22957 दिनांक 20.03.2020 के प्राप्त होने के उपरान्त तुरन्त विस्तृत जवाब नोटिस एवं माननीय न्यायालय में अपील में पेश किये गये 31 गवाहों के शपथ पत्रों की प्रतियां लेकर मातहत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ लेकिन कोविड–19 का हवाला देकर मातहत अधिकारी के द्वारा प्रकरण में नियत तारीख पेशियों पर अपीलान्ट के उपस्थित होने के बावजूद ना तो अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज की गई, ना ही अपीलान्ट के जवाब को पत्रावली लिया गया, मिन अपीलान्ट के बार–बार निवेदन करने के उपरान्त दिनांक 17.12.2020 को मिन अपीलान्ट का जवाब नोटिस एवं 31 गवाहों के शपथ पत्रों की प्रतियों को पत्रावली पर लिया गया। दिनांक 17.12.2020 के उपरान्त प्रकरण में नियत तारीख पेशियों की जानकारी करने के लिए अपीलान्ट बार–बार मातहत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता रहा परन्तु मिन अपीलान्ट को ना तो मातहत जिला रसद अधिकारी के द्वारा, ना ही उनके अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा दृषित भावना के चलते तारीख पेशियों की कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 17.12.2020 के उपरान्त मातहत अधिकारी के द्वारा द्वेषभावना व रंजिश के चलते एकतरफा कार्यवाही बिना मिन अपीलान्ट को सूचित किये अमल में लाई जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 09.12.2021 पारित किया गया है, जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं थी जिसके बावजूद भी बिना शिकायत के, बिना किसी उच्चाधिकारी के निर्देश/आदेश के प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा स्वंय को फायदा पहुंचाने की नियत से एवं अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से फर्जी जांच दल बनाकर अपीलान्ट की दुकान का दिनांक 04.01.2018 को निरीक्षण किया और जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 में येनकेन प्रकरेण अपीलान्ट के विरूद्व प्रकरण बनाने की नियत से जिला रसद अधिकारी, अलवर को प्रस्तुत कर दी। जिसके पश्चात् जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित नहीं किया तो प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे द्वारा गांव के कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करके एक झूठी शिकायत जिला कलक्टर, अलवर को दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत कराई। उसके बाद अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 08.02.2018 को बिना विभागीय प्रकरण दर्ज किये, बिना अपीलान्ट को उक्त की बाबत कारण बताओं नोटिस दिये निंलबित करवा दिया। अपीलान्ट की बाबत तैयार किये गये प्रकरण की मातहत अधिकारी की आदेशिका में यह दर्ज नहीं है कि जांच रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत हुई, किस तारीख को प्रकरण दर्ज करने के आदेश हुए। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट के विरूद्व समस्त कार्यवाही जिला रसद अधिकारी के मातहत प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के कहे अनुसार की गई है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 10.05.2018 एवं वर्तमान आलौच्य निर्णय दिनांक 09.12.2021 में यह गलत व मनमाने रूप में दर्ज किया गया है कि " उचित मूल्य दुकान सुरेन्द्र शर्मा को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उचित मूल्य दुकानदार नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ ना ही अपना पक्ष पेश किया इससे यह प्रतीत होता है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री सुरेन्द्र शर्मा के पास आरोपों का जवाब देने हेतु कोई आधार नहीं है।" जबकि मिन अपीलान्ट के द्वारा पूर्व में भी मातहत अधिकारी के नोटिस का विस्तृत जवाब दिया था एवं वर्तमान में भी मातहत अधिकारी के नोटिस दिनांक 20.03.2020 का विस्तृत जवाब दिनांक 17.12.

जिला कलक्टर, अलवर

2020 को प्रस्तुत किया गया है। 1. वक्त निरीक्षण सूचना पटट पर स्टॉक एं मूल्य सूची बोड्ड का प्रदश्नन नही पाया गया। जवाबः वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान के सूचना पटट् पर स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन किया हुआ था। 2. मौके पर उपभोक्ताओं ने बताया कि आप नियमित रूप से दुकान नहीं खोलते है, उपभोक्ताओं के साथ गाली–गलौच करते है। अभद्रता से पेश आते है और गैंहू खत्म होने का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं को बिना गेहूं दिये भगा देता है। जवाबः उक्त आरोप गलत है प्रार्थी अपनी उचित मूल्य दुकान को नियमित रूप से खोला जाता है। प्रार्थी वर्ष 2002 से उचित मूल्य सामग्री का वितरण करता आ रहा है। वर्ष 2002 से प्रार्थी के विरूद्व कभी कोई शिकायत नहीं रही है। प्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार किया जाता है। 3. आरोपः वक्त जांच आपने 19 उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया गया तथा फर्जी तरीके से पॉस मशीन की सहायता से गैंहू और केरोसीन की प्रविष्टि कर गैंहू व केरोसीन उठाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 14.55 कि0 गैंहू तथा 81 लीटर केरोसीन का गबन किया गया है। जवाबः– उक्त आरोप गलत है प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का गैंहू व केरोसीन का गबन नहीं किया गया है। सभी उपभोक्ताओं को पॉस मशीन के जरिये फिंगर के जरिये सामग्री का वितरण किया गया है, एवं सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में समय समय पर गैंहू व केरोसीन वितरण का इन्द्राज किया गया है, जो असल राशन कार्डो में दर्ज है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रकरण बनाने की नियत से बेजा रूप से आरोप लगाया गया है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए असल राशन कार्डो को जब्त करके उक्त राशन कार्डो के स्थान पर उपभोक्ताओं को डुप्लीकेट राश्न कार्ड जारी किये गये है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा असल राशन कार्डो की जब्ती जानबूझकर जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 में दर्ज नहीं की गई है। 4. वक्त जांच उचित दुकानदार द्वारा 13 उपभोक्तओं को मूल राशन कार्ड में दर्ज यूनिट से अधिक यूनिटो का पॉस मशीन में ट्रांजेक्शन कर गैंहू व करोसीन उठाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 21.15 कि0 गैंहू का गबन किया गया है। जवाबः– उक्त आरोप गतल है प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से उचित मूल्य राशन सामग्री गैंहू का गबन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पॉस मशीन में किसी भी प्रकार से उपभोक्ताओं की यूनिट बढाने या घटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। Pos Machine में राशन कार्ड के उपभोक्ताओं की यूनिट घटाने बढाने का कार्य ऑनलाईन होता है। जिसका क्षेत्राधिकार पंचायत समिति के विकास अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी को ही प्राप्त है। उपभोक्तओं की जितनी यूनिट Pos Machine में आई, उतनी ही सामग्री का वितरण किया गया है, किसी प्रकार का गबन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। 5. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्तओं के राशन कार्डो में गैंहू एवं केरोसीन की मात्रा एवं दिनांक का इन्द्राज नहीं किया गया। जवाबः– उक्त आरोप गतल है प्रार्थी द्वारा किसी राशन कार्ड में उपभौक्तओं की संख्या अधिक होने अथवा उपभोक्ता की जल्दबाजी के चलते गैंहू या केरोसीन की मात्र दर्ज होने से रह गई हो, उसमें कोई अनियमितता या गलती नहीं है, यह सद्भाविक भूल कही जा सकती है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय सादिर फरमाए जाने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है। परन्तु जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा आलोच्य निर्णय सादिर फरमाने से पूर्व मिन अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने एवं समुचित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा समस्त उपभोक्तओं को नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया है। क्योंकि जिला रसद विभाग के एवं राजस्थान सरकार के निर्देश है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड लेकर आने पर पॉस मशीन से फिगंर प्रिंट लगवाकर राशन सामग्री का वितरण किया जावें। अपीलान्ट द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों की पालना में अपनी उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं द्वारा उक्त तीनों कार्डो में से किसी भी कार्ड के लाने पर उपभोक्ताओं को नियमानुसार पॉस मशीन पर फिंगर लगवाकर उचित मूल्य सामग्री प्रदान की गई है जिस कारण से उचित मूल्य सामग्री उपभोक्ताओं के फिंगर प्रिन्ट पोस मशीन के जरिये प्राप्त करने के पश्चात् उसका इन्द्राज राशन कार्ड में नहीं हो पाता है, जिसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही नहीं रही है, ना ही उक्त कार्य गबन की परिधि में आता है। उपभोक्तओं को नियमानुसार उचित मूल्य सामग्री पोस मशीन के माध्यम से समय पर उपलब्ध करवाई गई है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 में जांच दल द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच करना दर्ज किया है, परन्तु जांच दल के किसी अधिकारी का नाम दर्ज नहीं किया गया है, ना ही उनके हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट पर कराये गये है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट को ब्लैकमेल करने की नियत से सुनियोजित तरीके से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे द्वारा मौके पर जाकर अपने साथ आए दो व्यक्तियों की बाबत जाहिर किया कि उक्त दोनों स्पेशल जांच अधिकारी है, जो जयपुर से है और स्टॉक की जांच करते समय उनमें से एक व्यक्ति के हस्ताक्षर स्टॉक जांच पर हस्ताक्षर करवाये गये है, जो तथाकथित हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति संजय मीणा, उचित दुकानदार जयपुर का है, जिसने अपीलान्ट के साथ वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के प्रभाव होने के कारण गाजी गलौच से पेश आया। डेरा महिला बहुउद्वेसीय सहकारी समिति लि0 के द्वारा राशन डीलर का लाईसेंस लेने हेतु आवेदन किया गया था, जिसका चयन नहीं किया गया था उसके स्थान पर एक अन्य महिला अनिता शर्मा का चयन किया गया था, जिस चयन के विरूद्व डेरा महिला बहुउद्वेशिय सहाकारी समिति लि0 के द्वारा

जिला कलक्टर, अलवर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एक रिट सं0 20644/17 पेश की गई थी, जिसे विड्रा कराने का दबाव बनाने की नियत से अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा में कार्यवाही की गई है। क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य राशन सामग्री वितरण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। उपभोक्ता मिन अपीलान्ट के कार्य एवं व्यवहार से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे है। अपीलान्ट वर्ष 2002 से लगातार क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है, जिसकी कभी कोई शिकायत नहीं रही है, तथाकथित शिकायत जो कि उपभोक्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार की गई है, उन उपभोक्ताओं ने अपीलान्ट के पक्ष में स्टाम्प पेपर पर शिकायत पर उनके फर्जी हस्ताक्षर होने, अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत नहीं करने एवं अपीलान्ट का उचित मूल्य सामग्री वितरण का कार्य व्यवहार उचित एवं संतोषजनक होने बाबत लिखित में दिया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मिटिंग करके सभी उचित मूल्य दुकानदारों को यह मौखिक आदेश दिये थे कि पोस मशीन के जरिये राशन सामग्री वितरित कर दी जावें क्योंकि पोस मशीन ऑनलाईन व्यवस्था है, जो कि किसी दूसरे डीलर से पुनः राशन सामग्री प्राप्त नहीं कर सकता है। जिला रसद अधिकारी अलवर की पत्रावली पर ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नही रही है, जिससे अपीलान्ट के विरूद्व मनगढंत रूप में विरचित किये गये आरोप सिद्व व साबित होते हो, के बावजूद आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। उक्त के अलावा अन्य तथ्य वक्त बहस श्रीमान् के समक्ष और अर्ज कर दिये जावेंगें। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 09.12.2021 प्रकरण सं0 202/2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट का पॉस कोड संख्या 17298, प्राधिकार पत्र सं0 1133/02 विधि विरूद्व तरीके से निरस्त कर जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त राज्य सरकार किये जाने का निर्णय दिया गया है। वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट की पॉस कोड संख्या 17298, प्राधिकार पत्र सं0 1133/02 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत डेरा, तहसील रैणी, जिला अलवर के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

पैरोकार सरकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्विकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार ढेरा 1/2 भाग तहसील रैणी के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में निहित शर्त संख्या 8,11,15,17ए,17बी,17सी एवं राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो का उल्लघन कर 35.70 क्वी0 गैंहू तथा 81 लीटर कैरोसिन का गबन किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक रैणी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय विधिवत पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा जारी नोटिस संख्या 19254 दिनांक 07.11.2019 को अपीलान्ट को जारी किया गया जिसकी तामील अपीलान्ट को हो चुकि थी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश नही किया गया। तदोपरान्त जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा क्रमांक 22957 दिनांक 20.03.2020 को पुनः नोटिस जारी किया गया। जो प्रार्थी को तामील हो जाने के उपरान्त भी मुताबिक पत्रादी लगभग 9 माह बाद दिनांक 17.12.2020 को जवाब पेश किया गया है। अपीलान्ट ने पूर्व निर्णय दिनांक 02.07.2019 से संबंधित पत्रावली में पेश किये गये शपथ पत्रों की प्रति पेश की गई है। जिनका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिन ग्रामीणों को राशन वितरण की जांच के आधार जिला रसद अधिकारी, अलवर ने निर्णय पारित किया है वो उपभोक्ता तथा अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र देने वाले उपभोक्ता भिन्न है। जिला रसद अधिकारी अलवर की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि उपभोक्ताओं के मूल राशन कार्ड में दर्ज यूनिट से अधिक संख्या में पॉस मशीन में अधिक यूनिट का गैंहू और केरोसिन उठाकर गबन किया जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 09.12.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर